बिना अनुमति के बिछाए जा रहे केबल को निगम ने ट्राली सहित जप्त किया

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में बिना अनुमति के जियो टेलिकॉम द्वारा बिछाए जा रहे आप्टिकल फाइबर केबल को निगम के भवन अनुज्ञा शाखा एवं तोड़फोड़ दस्ता की टीम ने कार्यवाही की। आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण , निर्माण तथा बिना अनुमति के फाइबर केबल बिछाने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। वैशालीनगर जोन-2 क्षेत्र के जवाहर नगर दारू भटटी के सामने रोड में जियो कंपनी के द्वारा बिना अनुमति के आप्टिकल फाइबर लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा था , जिसकी सूचना प्राप्त होते ही निगम के भवन अनुज्ञा जोन- 2 के राजस्व अमले के साथ मौके पर पहूॅच कर ट्रेक्टर ट्राली में रखे जियो आप्टिकल फाइबर को ट्राली सहित तथा एक पानी टेंकर को जप्त किया गया। शिकायत के आधार पर भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों के साथ निगम का अमला मौके पर पहुंचा केबल बिछाने वालों से केबल बिछाने की अनुमति पत्र दिखाने को कहा तो उनके द्वारा गोल मोल जवाब देते हुए किसी प्रकार अनुमति संबंधी कोई दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके अतः कार्यवाही के लिए पहुंची निगम की टीम ने मौके से बिछाए जा रहे केबल के साथ अन्य सामग्रियों को जप्त किया गया। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी निगम क्षेत्र में इसके पूर्व अन्य टेलिकाॅम सर्विस कंपनी द्वारा बिना कोई अनुमति केबल बिछाने या गडढा खोदने की शिकायत मिलने पर निगम की टीम सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही करने मौके पर पहुंचकर गलत ढंग से किए जा रहे कार्याे पर शिकंजा कसने मशीन आदि को जप्त बनाते हुए अर्थदण्ड भी वसूलने की कार्यवाही की गई है।